

आ. ८८४
२९/०६/१३

संशोधित नियमावली

- प्राप्त क्रमांक २६८०
प्राप्ति दिनांक २७/११/०९
संशोधन दिनांक २७/६/१२
1. संस्था का नाम - हेल्प एण्ड हेल्पस समिति
 2. संस्था का कार्यालय - प्लॉट नं. 127, हानि. 42/1293, राजेन्द्र नगर, सिविल लाइन रायपुर तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।
 4. संस्था का उद्देश्य - (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)
 1. स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, खेलकूद अनुसूचित जाति- जनजाति एवं योजना संबंधित कार्य करना।
 2. समाज के विकास कार्य हेतु शासन की योजनाओं को संचालित करना जैसे जनजागरूकता सामाजिक कार्य सहायता इत्यादि।
 3. जल, विद्युत, भूमि, जंगल, खेत, औषधि आदि की बिगड़ती स्थिति की जानकारी एकत्रित करना, रोकथाम करना एवं शोध कार्य करना।
 4. पर्यावरण, प्रदूषण, पशु- पक्षी आदि के क्षेत्र के उत्थान एवं शोध का कार्य करना।
 5. नशा मुक्ति हेतु लोगों को जागरूक करना तथा तम्बाखु, बीड़ी, सिंगरेट, गुटका, नसीली प्रदार्थों का बहिष्कार करने हेतु प्रेरित करना। आयुष, वनोषधि एवं चिकित्सा से उपचार हेतु लोगों को जागरूक करना।
 6. कुष्ट रोग, एड्स, कैंसर, अंधावास, टी. बी., मानसिक रोग, नसाखोरी, दांतों के बिमारीयाँ, पोलियो एवं अन्य बिमारीयाँ का टीकाकरण, जनजागरूकता कार्यक्रम रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान के लिए शिक्षा, प्रोत्साहन एवं जनजागरूकता करना। नि: शुल्क इलाज, नि: शुल्क टीकाकरण, नि: शुल्क दवाई वितरण इत्यादि के लिए केम्प लगवाना एवं संचालन कराना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सहभागिता प्रदान करना। स्वास्थ्य संबंधी आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारीयों को प्रशिक्षण देना। स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन इत्यादि संचालन कराना। अपाहिज, अपांग, मुकब्बधिर के पुर्नवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कराना तथा पथ भ्रष्ट बच्चों के लिए पुर्नवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कराना।
 7. कृषि विभाग की गतिविधियों का संचालन करना। कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना। कृषि उद्यानिकी विकास हेतु ग्रामीण प्रायोगिकी को प्रोत्साहन करते हुए जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, प्रायोगिकी प्रदर्शन एवं जागरूकता करना। लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ की सहायता एवं गतिविधियों का संचालन करना। झुम खेती क्षेत्र के लिए वाटरसेड विकास परियोजना का संचालन करना।
 8. प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना।
 9. क्षेत्र में कीटनाशक प्रबंधन प्रयास को सुदृढ़ बनाने और उन्हें आधुनिक बनाने संबंधी योजना के जागरूकता एवं संचालन करना। बागवानी फसलों के लिए प्रोत्साहन सेवा, सुचना सेवा, शीत भंडारों का विकास, बायबानी उत्पादनों के लिए भंडारों का विकास एवं विस्तार, बढ़ावा देने के लिए तकनाकी विकास एवं अंतरण। राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कृषि विकास योजना को लोगों तक पहुंचाना। सेमिनार, वर्कशाप, ड्रेनिंग एवं प्रदर्शनाएं के माध्यम से कृषि के नई तकनीक बताना एवं प्रोत्साहन करना।
 10. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के गतिविधियों का संचालन करना।
 11. संचार एवं सुचना प्रायोगिकी (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सुचना प्रायोगिकी) विभाग की गतिविधियों का संचालन करना। सेमिनार, वर्कशाप, ड्रेनिंग एवं प्रदर्शनाएं के माध्यम से संचार एवं सुचना प्रायोगिकी के नई तकनीक बताना एवं प्रोत्साहन करना। संचार एवं सुचना प्रायोगिकी की शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना। संचार एवं सुचना प्रायोगिकी के लिए शोध एवं विकास परियोजना का कार्य करना।



Sumeet

रमेश

- L.C. 80
11/12
14. संस्कृति विभाग गतिविधियों का संचालन करना। ^{संस्कृति विभाग के लिए मुख्यकार्यालय} संस्कृति विभाग के लिए मुख्यकार्यालय मेला/प्रदर्शनी/प्रचार/परिसंवाद इत्यादि का कार्य करना। शोध एवं विकास परियोजना, विज्ञान, जागरूकता कार्यक्रम करना।
15. पर्यावरण एवं वन विभाग के सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिंग, स्पर्धा एवं प्रदर्शनी इत्यादि करना। ^{पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु जागरूकता का कार्यक्रम करना। पर्यावरण एवं वन विभाग के गतिविधियों का संचालन करना। पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना।}
16. पृथ्वी विज्ञान संबंध में सेमिनार, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। पृथ्वी विज्ञान के संबंधीत खोज, वायुमंडल, मौसम, आपदा प्रबंधन, इत्यादि कार्य करना।
17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंध में सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना।
18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। मानव संसाधन विकास हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना।
19. श्रम और रोजगार मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। श्रम और रोजगार हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। श्रम और रोजगार झुलाधर, शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना। श्रम और रोजगार विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना।
20. खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। खादी एवं ग्रामोद्योग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना। खादी एवं ग्रामोद्योग विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। खादी एवं ग्रामोद्योग के उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। अल्पसंख्यक समाज हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। अल्पसंख्यक उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
21. अल्पसंख्यक विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। अल्पसंख्यक छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का देख-भाल एवं व्यवस्था करना। पंचायती राज शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना। पंचायती राज उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
22. पंचायती राज हेतु ग्रामिण व्यवसाय केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, पौढ़ शिक्षा केन्द्र इत्यादि का देख-भाल एवं व्यवस्था करना। योजना आयोग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। योजना आयोग उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। योजना आयोग छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
23. सड़क सुरक्षा शिक्षा, ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
24. ग्रामिण विकास शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। ग्रामिण विकास उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। ग्रामिण विकास छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
25. ग्रामिण विकास विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। जनविकास, इत्यादि कार्यक्रम करना। केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा प्रसारित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना।
26. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गतिविधियों का संचालन करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
27. सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिक्षा, स्वरोजगारी, ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
28. ग्रामिण विकास विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। जनविकास, इत्यादि कार्यक्रम करना। केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा प्रसारित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना।
29. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गतिविधियों का संचालन करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
30. सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिक्षा, स्वरोजगारी, ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।



Sumeet

राजेश

Soham

प्राप्ति क्रमांक

दिनांक

26.8.14
27/11/13
27/11/13

31. वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, मुख-बिहु-आश्रम संचालन करना।
 32. जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
 33. जनजातीय कार्य उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। निःशुल्क कोचिंग, छात्रावास, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
 34. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
 35. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के योजना उज्ज्वला, स्वधार, स्वयं सिद्धा, सबला, इत्यादि कार्सकम/योजना/आश्रम/भवन का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
 36. समाज कल्याण बोर्ड के गतिविधियों का संचालन करना। समाज कल्याण बोर्ड शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। समाज कल्याण बोर्ड झुलाघर, अल्पवास गृह, कार्यरत महिला छात्रावास, परिवारिक परामर्श केन्द्र, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
 37. युवा कार्य एवं खेल शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, क्रियाकलाप, का कार्यक्रम संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
 38. शिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
 39. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के कार्यक्रम को संचालित करना। एड्स जागरूकता हेतु विभिन्न जागरूकता शिविर, सेमीनार, ट्रेनिंग, कार्यशालाओं एवं शोध संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 40. युवा कार्य एवं खेल विकास संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, क्रियाकलाप कार्यक्रम संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।

5. सदस्यता - संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे :-

संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 5000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 3500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 2000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति 2000/- रु.प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

- (d) सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।
6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।
7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-
- (1) भारतीय नागरिक हो ।
 - (2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
 - (3) समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
 - (4) सद्चारित्र हो तथा मध्यपान न करता हो ।
8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी -
- (1) चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
 - (2) समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर ।
 - (3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
 - (4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
 - (5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।
9. सदस्यता पंजी :-
- संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे -
- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
 - (2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
 - (3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
 - (4) सदस्यों के हस्ताक्षर.
10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह दिसम्बर तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।



सदस्यता पंजी :-

संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे -

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
- (2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
- (3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
- (4) सदस्यों के हस्ताक्षर.

10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह दिसम्बर तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

.....
.....
.....

.....
.....
.....


.....
.....
.....

3/4/20
11/11/2021
सम्मानीय सदस्यता की समाप्ति
11/11/2021
.....
.....

- (ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।
- (स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना । 2680
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना । 27/11/25
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना 27/6/25
- अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
- संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- बजट का अनुमोदन करना ।



उत्तीस प्रबंधकारिणी का गठन :- द्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ, ब, स) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।
 (1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य -2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

Sohu

Surma

रोमेश

प्राप्ति क्रमांक 9686
दिनांक 17/11/14

- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा समर्त आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्बूद्धि पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।
- (च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।
- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

उक्त अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों का अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन बनायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

उक्त उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार:-

- (1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।
- (2) समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना ।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 2500/- रूपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

- राज्य अधिकारी का दिनांक 26.8.2013
पंजीयक दिनांक 27.8.2013
20. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक आॅफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से बोला दिनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 3000/- रु. रहेगे ।
21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।
22. **संशोधन** :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।
23. **विघटन** :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24. **सम्पत्ति** :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट- ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय- समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

विवाद :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम ब सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

(D. D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh

10/6/13
Signature

Signature

राजेश



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

10AA 579685



संस्था नं. १०४ पोस. २५६ लिखि
पंजीयन नं. २६८० दिनांक २२/१/९
के पंजीकृत प्रमरण-पत्र/ज्ञावन-पत्र/नियमाला
की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु उपयोग किया गया

(D. D. Mahanty)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh

सोसाइटीयों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का संशोधित...ज्ञापन

संशोधन दिनांक..... १५/८/१३

1. सोसाइटी का नाम - हेल्प एण्ड हेल्पस समिति होगा।
2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय - प्लॉट नं. 127, हा.नं. 42/1293, राजेन्द्र नगर, सिविल लाईन रायपुर तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)
3. सोसाइटी का उद्देश्य निम्नलिखित होगें: -

1. स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, खेलकूद अनुसूचित जाति- जनजाति एवं योजना संबंधित कार्य करना ।
2. समाज के विकास कार्य हेतु शासन की योजनाओं को संचालित करना जैसे जनजागरूकता सामाजिक कार्य सहायता इत्यादि ।
3. जल, विद्युत, भूमि, जंगल, खेत, औषधि आदि की बिगड़ती स्थिति की जानकारी एकत्रित करना, रोकथाम करना एवं शोध कार्य करना ।
4. पर्यावरण, प्रदूषण, पशु- पक्षी आदि के क्षेत्र के उत्थान एवं शोध का कार्य करना ।
5. नशा मुक्ति हेतु लोगों को जागरूक करना तथा तम्बाखु, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, नसीली प्रदार्थों का बहिष्कार करने हेतु प्रेरित करना ।
6. आयुष, वनोषधि एवं चिकित्सा के संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना । आयुष, वनोषधि एवं चिकित्सा से उपचार हेतु लोगों को जागरूक करना ।
7. कुष्ट रोग, एड्स, कैंसर, अंधापन, टी.बी., मानसिक रोग, नसाखोरी, दांतों के बिमारीयाँ, पोलियो एवं अन्य बिमारीयाँ का टीकाकरण, जनजागरूकता कार्यक्रम रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान के लिए शिक्षा, प्रोत्साहन एवं जनजागरूकता करना । नि: शुल्क इलाज, नि: शुल्क टीकाकरण, नि: शुल्क दवाई वितरण इत्यादि के लिए कैम्प लगवाना एवं संचालन कराना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सहभागिता प्रदान करना । स्वास्थ्य संबंधी आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारीयों को प्रशिक्षण देना । स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन इत्यादि संचालन कराना । अपाहिज, अपंग, मुकबिधि के पुर्नवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कराना तथा पथ भ्रष्ट बच्चों के लिए पुर्नवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कराना ।
8. कृषि विभाग की गतिविधियों का संचालन करना । कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना । कृषि उद्यानिकी विकास हेतु ग्रामिण प्रायोगिकी को प्रोत्साहन करते हुए जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, प्रायोगिकी प्रदेशन एवं जागरूकता करना । लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ की सहायता एवं गतिविधियों का संचालन करना । झुम खेती क्षेत्र के लिए वाटरसेड विकास परियोजना का संचालन करना ।
9. प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना ।
10. क्षेत्र में कीटनाशक प्रबंधन प्रयास को सुदृढ़ बनाने और उन्हें आधुनिक बनाने संबंधी योजना के जागरूकता एवं संचालन करना । बागवानी फसलों के लिए प्रोत्साहन सेवा, सुचना सेवा, शीत भंडारो का विकास, बाघबानी उत्पादनों के लिए भंडारो का विकास एवं विस्तार, बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विकास एवं अंतरण । राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कृषि विकास योजना को लोगों तक पहुचाना । सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिंग एवं प्रदेशनी के माध्यम से कृषि के नई तकनीक बताना एवं प्रोत्साहन करना ।
11. संचार एवं सुचना प्रायोगिकी (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सुचना प्रायोगिकी) विभाग की गतिविधियों का संचालन करना । सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिंग एवं प्रदेशनी के माध्यम से संचार एवं सुचना प्रायोगिकी के नई तकनीक बताना एवं प्रोत्साहन करना । संचार एवं सुचना प्रायोगिकी की शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना । संचार एवं सुचना प्रायोगिकी के लिए शोध एवं विकास परियोजना का कार्य करना ।



S. Mehta

रामेश

राज्य कला
कानून दिनांक
विज्ञापन दिनांक

26/8/0
27/11/19
27/11/13

14. संस्कृति विभाग गतिविधियों का संचालन करना। संस्कृति विभाग के लिए पुस्तक मेला/प्रदर्शनी/प्रचार/परिसंवाद इत्यादि का कार्य करना। शोध एवं विकास परियोजना, विज्ञापन, जागरूकता कार्यक्रम करना।
15. पर्यावरण एवं वन विभाग के सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिंग, स्पर्धा एवं प्रदर्शनी इत्यादि कराना। पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु जागरूकता का कार्यक्रम करना। पर्यावरण एवं वन विभाग के गतिविधियों का संचालन करना। पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना।
16. पृथ्वी विज्ञान संबंध में सेमिनार, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। पृथ्वी विज्ञान के संबंधीत खोज, वायुमंडल, मौसम, आपदा प्रबंधन, इत्यादि कार्य करना।
17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंध में सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना।
18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। मानव संसाधन विकास हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना।
19. श्रम और रोजगार मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। श्रम और रोजगार हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। श्रम और रोजगार झूलाघर, शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना। श्रम और रोजगार विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना।
20. खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। खादी एवं ग्रामोद्योग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना। खादी एवं ग्रामोद्योग विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। खादी एवं ग्रामोद्योग के उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
21. अल्पसंख्यक समाज हेतु सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम करना। अल्पसंख्यक उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
22. अल्पसंख्यक विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। अल्पसंख्यक छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का देख-भाल एवं व्यवस्था करना। पंचायती राज शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना। पंचायती राज उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
23. पंचायती राज हेतु ग्रामिण व्यवसाय केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, पौढ़ शिक्षा केन्द्र इत्यादि का देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
24. योजना आयोग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। योजना आयोग उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। योजना आयोग छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
25. सड़क सुरक्षा शिक्षा, ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
26. ग्रामिण विकास शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
27. ग्रामिण विकास उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। ग्रामिण विकास छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
28. ग्रामिण विकास विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना। जनविकास, इत्यादि कार्यक्रम करना। केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा प्रसारित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना।
29. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गतिविधियों का संचालन करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।
30. सामाजिक न्याय और अधिक दारिता शिक्षा, स्वरोजगारी, ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना।



रजिस्ट्र

राजसत क्रमांक १८४
रजारन दिनांक २७/११/१५
शोधन दिनांक २७/१६/१५

31. वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, मुख-बधिर आश्रम, विकलांग आश्रम, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
32. जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
33. जनजातीय कार्य उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना। निःशुल्क कोचिंग, छात्रावास, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिंग/वर्कशाप सेंटर, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
34. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना।
35. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के योजना उज्ज्वला, स्वधार, स्वयं सिद्धा, सबला, इत्यादि कार्सकम/योजना/आश्रम/भवन का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
36. समाज कल्याण बोर्ड के गतिविधियों का संचालन करना। समाज कल्याण बोर्ड शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना। समाज कल्याण बोर्ड झुलाघर, अल्पवास गृह, कार्यरत महिला छात्रावास, परिवारिक परामर्श केन्द्र, इत्यादि का संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।
37. युवा कार्य एवं खेल शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिंग/वर्कशाप, सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरूकता इत्यादि पर कार्य करना। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, क्रियाकलाप, का कार्यक्रम संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।



प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के कार्यक्रम को संचालित करना। एड्स जागरूकता हेतु विभिन्न जागरूकता शिविर, सेमिनार, ट्रेनिंग, कार्यशालाओं एवं शोध संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
युवा कार्य एवं खेल विकास संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, क्रियाकलाप कार्यक्रम संचालन, देख-भाल एवं व्यवस्था करना।

Sabu

Sharma

2 अक्टूबर

4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों समिति या शासी-निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :-

अनुक्रमांक (1)	नाम/पिता/पति का नाम (2)	पता (3) नाम क्रमांक दर्जन दिनांक	उपजीविका (4)
1. श्री शिव शंकर शाहा		79/2, गीतांजली सुषाहेलीलालमणी गेस एजेंसी के पास रायपुर, तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)	व्यवसायी
2. श्री सुमीत राठौर		म.नं. एमआईजी 32, लभांडी विजय नगर ग्राम- लभांडी, तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)	स्वयं व्यवसाय
3. श्री मालविका राठौर		एमआईजी 32, एच.बी. कालोनी अवंति विहार तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)	विद्यार्थी
4. श्री कृष्ण कुमार यादव		मठपारा कृष्ण प्रोविजन स्टोर के पीछे, गमरापारा रायपुर, तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)	व्यवसाय
5. श्री राजेश राठौर		ग्राम पो.- सिवनी, नैला तह. - जांगीर जिला- चांपा (छ.ग.)	स्वयं व्यवसाय
6. मालति राठौर		सेक्टर-6, सड़क नं. 34/1 जे भिलाई तह. व जिला - दुर्ग (छ.ग.)	गृहिणी
7. छत्रसुख राठौर		म.नं. 4229 शारदा विहार कालोनी कोरबा तह.व जिला - कोरबा (छ.ग.)	कृषक
8. मोहन अस्तानी		म.नं. 21/1164, सिविल लाईन रायपुर तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)	स्वयं व्यवसाय
		म.नं. 3142/32, लभांडी विजय नगर ग्राम-लभांडी तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)	स्वयं व्यवसाय
10. लूरुन राठौर		म.नं. 1161 चिमनी भट्टा कोरबा तह. व जिला- कोरबा (छ.ग.)	गृहिणी



10. लूरुन राठौर

1. श्री शिव शंकर शाहा

2. श्री सुमीत राठौर

3. श्री मालविका राठौर

4. श्री कृष्ण कुमार यादव

5. श्री राजेश राठौर

6. मालति राठौर

7. छत्रसुख राठौर

8. मोहन अस्तानी

9. लूरुन राठौर

10. लूरुन राठौर

11. लूरुन राठौर

12. लूरुन राठौर

13. लूरुन राठौर

14. लूरुन राठौर

15. लूरुन राठौर

16. लूरुन राठौर

17. लूरुन राठौर

18. लूरुन राठौर

19. लूरुन राठौर

20. लूरुन राठौर

21. लूरुन राठौर

22. लूरुन राठौर

23. लूरुन राठौर

24. लूरुन राठौर

25. लूरुन राठौर

26. लूरुन राठौर

27. लूरुन राठौर

28. लूरुन राठौर

29. लूरुन राठौर

30. लूरुन राठौर

31. लूरुन राठौर

32. लूरुन राठौर

33. लूरुन राठौर

34. लूरुन राठौर

35. लूरुन राठौर

36. लूरुन राठौर

37. लूरुन राठौर

38. लूरुन राठौर

39. लूरुन राठौर

40. लूरुन राठौर

41. लूरुन राठौर

42. लूरुन राठौर

43. लूरुन राठौर

44. लूरुन राठौर

45. लूरुन राठौर

46. लूरुन राठौर

47. लूरुन राठौर

48. लूरुन राठौर

49. लूरुन राठौर

50. लूरुन राठौर

51. लूरुन राठौर

52. लूरुन राठौर

53. लूरुन राठौर

54. लूरुन राठौर

55. लूरुन राठौर

56. लूरुन राठौर

57. लूरुन राठौर

58. लूरुन राठौर

59. लूरुन राठौर

60. लूरुन राठौर

61. लूरुन राठौर

62. लूरुन राठौर

63. लूरुन राठौर

64. लूरुन राठौर

65. लूरुन राठौर

66. लूरुन राठौर

67. लूरुन राठौर

68. लूरुन राठौर

69. लूरुन राठौर

70. लूरुन राठौर

71. लूरुन राठौर

72. लूरुन राठौर

73. लूरुन राठौर

74. लूरुन राठौर

75. लूरुन राठौर

76. लूरुन राठौर

77. लूरुन राठौर

78. लूरुन राठौर

79. लूरुन राठौर

80. लूरुन राठौर

81. लूरुन राठौर

82. लूरुन राठौर

83. लूरुन राठौर

84. लूरुन राठौर

85. लूरुन राठौर

86. लूरुन राठौर

87. लूरुन राठौर

88. लूरुन राठौर

89. लूरुन राठौर

90. लूरुन राठौर

91. लूरुन राठौर

92. लूरुन राठौर

93. लूरुन राठौर

94. लूरुन राठौर

95. लूरुन राठौर

96. लूरुन राठौर

97. लूरुन राठौर

98. लूरुन राठौर

99. लूरुन राठौर

100. लूरुन राठौर

5. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनयम का सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान - ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुक्रमांक	अभिदाताओं के नाम पिता/ पति के नाम सहित	पूर्ण पते	हस्ताक्षर
1. श्री शिव शंकर शाहा	79/2, गीतांजली नगर, लालमणी ग्रैस एंड रिफिल के पास 268/0 रायपुर, तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.) 21/11/09 म.नं. एमआईजी 32, लभांडी विजय नगर 27/6/13 ग्राम- लभांडी, तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.) सही/-		
2. श्री सुमीत राठौर	एमआईजी 32, एच.बी. कालोनी अवंति विहार तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.) सही/-		
3. श्री मालविका राठौर	मठपारा कृष्णा प्रोविजन स्टोर के पीछे, गमरापारा रायपुर, तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.) सही/-		
4. श्री कृष्ण कुमार यादव	ग्राम पो.- सिवनी, नैला तह. - जांगीर जिला- चांपा (छ.ग.) सही/-		
5. श्री राजेश राठौर	सेक्टर-6, सड़क नं. 34/1 जे भिलाई तह. व जिला - दुर्ग (छ.ग.) सही/-		
6. मालाती राठौर	म.नं. 4229 शारदा विहार कालोनी कोटवा तह.व जिला - कोटवा (छ.ग.) सही/-		
7. छत्रपाल राठौर	म.नं. 21/1164, सिविल लाईन रायपुर तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.) सही/-		
8. मोहन अन्दानी	म.नं. 3142/32, लभांडी विजय नगर ग्राम-लभांडी तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.) सही/-		
9. सीमा राठौर	म.नं. 1161 चिमनी भट्टा कोटवा तह. व जिला- कोटवा (छ.ग.) सही/-		
10. लूसन राठौर	260 चालान 1668/420 दिन 21/11/09 तारीख: विशुद्ध तस्या दी प्रति 21/11/09 सोसाइटी का रजिस्ट्रार रायपुर (छ.ग.)		

साक्षी

हस्ताक्षर सही/-

नाम - मनीष कुमार अग्रवाल

पूर्ण पता - मेन रोड छोटापारा रायपुर

तह. व जिला - रायपुर (छ.ग.)

(D.D. Mahant)

Dy. Registrar

Firms & Societies

Chhattisgarh

26/11/09

Yameet

26/11/09

तारीख: विशुद्ध तस्या दी

प्रति 26/11/09

सोसाइटी का रजिस्ट्रार

रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

10AA 579684



संस्था हेल्प 1005 हेल्प 1004 दिनीलि
पंजीयन क्र..... 2680 दिनांक 27/11/09
के पंजीकृत प्रमाण-पत्र/झापन-पत्र/नियमाबली
के लिए वैत उपयोग किया गया।

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh